सिंचाई परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हुआ है, का समाधान कर लिया गया है ;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ग) क्या इसका निर्माण कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा हो जाएगा ;

(घ) अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ङ) उस सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन) : पोट्टेरु परियोजना के विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं; परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र में परिवर्तन, निधियों की कमी तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्यायें । 102.39 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान 9/93 में अनुमोदित किया गया है ।

(ख) और (ग) इस परियोजना को 6/96 में पूरा करने का कार्यक्रम है ।

(घ) 9/94 तक इस पर 86.70 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है ।

(ङ) इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए इसके प्रबोधन का कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया है ।

प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना

740. **श्री भगवान माझी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने के लिये अभी तक प्रस्तुत किये गये विभिन्न प्रस्ताव क्या हैं ;

(ख) क्या इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गए ; और

(ङ) उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन): (क) से (ङ) सरकार द्वारा तैयार किये गये जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये अधिशेष जल वाली बेसिनों से जल की कमी वाली बेसिनों को जल अंतरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों के बीच और हिमालयी नदियों के बीच अलग-अलग अंतः संपर्क करने की परिकल्पना की गई है ।

राज्य सरकारों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1982 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है । इसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री हैं तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधिकारियों के अलावा राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री/सिंचाई के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं । इन प्रस्तावों को पुष्ट करने के लिये एक तकनीकी सचिवालय है । राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कुल 36 जल अंतरण संपर्क अभिज्ञात किये गये हैं, जिनमें से 17 प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत तथा 19 हिमालयी घटक के अन्तर्गत हैं । प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के अन्तर्गत 2 संपर्कों के कार्यालय अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं । शेष प्रायद्वीपीय संपर्कों और हिमालयी घटक के अन्तर्गत संपर्कों के अध्ययन के कार्य को आठवीं योजना में शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय घटक के 9 संपर्कों तथा हिमालयी घटक के 3 संपर्कों के फील्ड अन्वेषण कार्य को अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है ।

इन योजनाओं पर इस शर्त पर क्रियान्वयन के लिये विचार किया जा सकता है कि लागत अनमानों सहित व्यवहार्यता अध्ययन, संबंधित राज्यों के बीच सहमति, फील्ड अन्वेषण तथा विस्तृत

परियोजना रिपोर्टों को पूर्ण कर लेने के बाद निधियां उपलब्ध हों ।

बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष योजनाएं

641. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई विशेष योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने-अपने राज्य में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक, एशियाई बैंक/विदेशी सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का अन्वेषण, आयोजना और क्रियान्वयन करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केन्द्र उन कार्यों के लिये सहायता प्रदान करता है जो तकनीकी, उत्प्रेरक और संवर्धक प्रकृति के होते हैं। बाढ़ रोकने और उनके बेहतर प्रबंध के लिये उपायों का पता लगाने के वास्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1976–80) ने 207 सिफारिशें की हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड अपने सचिवालय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिये बाढ़ प्रबंध के वास्ते व्यापक मास्टर योजनायें तैयार की हैं । इसी प्रकार, वर्ष 1981 में स्थापित किये गये ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ प्रबंध के लिये व्यापक मास्टर योजनायें तैयार की हैं । दीर्घावधि और अल्पावधि सिफारिशों सहित इन मास्टर योजनाओं को राज्य सरकारों के पास इस आग्रह के साथ भेज दिया गया है कि वे भूमि सर्वेक्षण, अन्वेषण करने तथा उनका क्रियान्वयन शुरू करने के बाद विस्तृत योजनायें तैयार करें ।

(ङ) से (छ) बाढ़ प्रवण राज्यों में बहुद्देशीय बाढ़ प्रबंध योजनाओं के वित्त पोषण के लिये बाह्य सहायता के निवेदन का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है । विशिष्ट योजनाओं और बाह्य सहायता के स्रोत का पता नहीं चला है ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना

642. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना के तहत किसी राष्ट्रीय जल परियोजना को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अनुमानित रूप से सिंचाई होने वाली कृषि भूमि के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर अनुमानित लागत कितनी आएगी ;

(घ) इस योजना का जिलावार कार्यान्वयन कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) से (ङ) मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत अनुमोदित 19 उप परियोजनाओं में से, 5 उप, परियोजनायें नामशः सकलदा, सेगवाल गगन, सोनखेडी तथा सुक्ता, क्रमशः धार, रगोन, खरगोन, बेतूल एवं खंडवा जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में हैं । उप-परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।